POSTAL REG. NO. RJ/JPC/M-17/2012-14 (RNI.REG.NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2013/अंक 11

कृपया इसे चौराहे पर चिपकाइये

मासिक प्रेषण दि. 8 नवम्बर, आरएमएस (पी.एस.ओ.) जयपुर-06

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 नवम्बर, 2013 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! साथ ही 'ग्राम गदर' के सभी पाठकों को मेरी एवं 'कट्स' परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभ कामनाएं!

ऐसा लगने लगा है कि भारतीय लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने लगी है। आमजन जागरूक हुआ है और शासन-प्रशासन में अपनी भागीदारी चाहने लगा है। इससे राजनीतिज्ञों की सोच में परिवर्तन के संकेत साफ दिखाई देने लगे हैं।

जनता की आवाज को अनसुनी करना सरकार को भारी पड़ने लगा है। अपराधी और दागी राजनेताओं के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ केन्द्र सरकार के अध्यादेश का जो हश्र हुआ, हमारे सामने है। हमारे राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने जनता की आवाज को भांपकर जो पहल की बेहद काबिले तारीफ है। जनता, खासतौर से नई पीढ़ी देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, राजनेताओं की धूर्तता, चरित्रहीनता और जनता के प्रति जवाबदेहिता की उपेक्षा से बेहद असंतुष्ट है। अब जनमानस चुनाव सुधार की पैरवी करने की तैयारी में है।

चुनाव आयोग भी सुधारों के पक्ष में है, लेकिन सरकार सुनी-अनसुनी करती रही है। जनता की मांग पर न्यायपालिका को आगे आना पड़ा और उसने चुनाव में खड़े उम्मीदवारों को नकारने यानि 'राइट टू रिजेक्ट' का अहम फैसला दिया है।

चुनाव सुधार की एक और कड़ी में चुनाव जीतने के बाद जन प्रतिनिधि कर्तव्य के अनुरूप काम नहीं करे और चुनाव के समय किए अपने वादों से मुकरे, तो उसे वापस बुलाने यानि 'राइट टू रिकॉल' का अधिकार भी जनता के पास होना चाहिए।

आशा की जाती है कि इसी तरह आगे भी चुनाव सुधारों की दिशा में जनमत अनेक कदम उठाएगा।

ज्यादा वोट डलवाए तो मिलेगा पुरस्कार

मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक जैन ने बताया कि विधान सभा चुनाव में अधिक से अधिक वोट डालने के लिए लोग इच्छुक हों और मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करे, इसके लिए विभाग की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

इसी के तहत चुनाव में 10 फीसदी अधिक मतदान कराने वाले राज्य के सभी पीठासीन अधिकारियों को निर्वाचन विभाग ग्यारह हजार रुपए का पुरस्कार देगा। दस फीसदी अधिक मतदान की तुलना विधानसभा चुनाव 2008 से होगी।

पिछले चुनाव में जहां 75 फीसदी से ज्यादा वोट पड़े थे, वहां के लिए केवल पांच फीसदी पोलिंग बढ़त को पुरस्कार के योग्य माना जाएगा।

मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले सर्वश्रेष्ठ तीन जिलों के निर्वाचन अधिकारी, उप निर्वाचन अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, अध्यक्ष जिला स्तरीय स्वीप समिति और नोडल अधिकारियों को भी नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार का निर्णय निर्धारित मापदण्ड व मूल्यांकन के आधार पर होगा।

गलत है पैसा देकर खबर छपाना

निर्वाचन आयोग के महानिदेशक अक्षय राउत ने कहा है कि पैसा देकर खबरें छपाना (पेड न्यूज) आज गंभीर बीमारी बन गई है। चुनावों के दौरान इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। अर्थात कई उम्मीदवार अपने पक्ष में या प्रतिद्वंदी के खिलाफ समाचार पत्रों में पैसे देकर खबरें छपवाते हैं।

उन्होंने राज्य एवं जिला स्तरीय सदस्यों की एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए बताया कि पेड न्यूज पर लगाम कसने के लिए आयोग ने राज्य में पहली बार मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है। अगर यह कमेटी किसी खबर को संदिग्धता के आधार पर पेड न्यूज मानती है, तो जिला निर्वाचन अधिकारी संबंधित प्रत्याशी को नोटिस जारी करेंगे।

सशक्त हो आयोग, जरूरी है सुधार

हमारे लोकतंत्र का तीसरा स्तम्भ न्यायपालिका है। हाल ही चुनाव सुधार की दिशा में न्यायालय के फैसले सराहनीय हैं। इससे देश की राजनीति और राजनेताओं के चरित्र में सुधार आएगा। इन फैसलों से जनता में आस बंधी है और बुद्धिजीवियों और विचारकों में चुनाव सुधार को लेकर एक व्यापक बहस को बल मिला है।

देश की राजनीति और राजनेताओं में सुधार लाने की दिशा में चुनाव सुधार जरूरी है। एक बार फिर से यह मांग उठी है कि चुनाव आयोग को सशक्त और ज्यादा अधिकार सम्पन्न बनाया जाए। इससे चुनाव सुधार के प्रयासों को बल मिलेगा। चुनाव आयोग के लिए अलग से सचिवालय बने व सभी सदस्यों की संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

वोट डालना आपका फर्ज

हर मतदाता का फर्ज बनता है कि वह अपने वोट डालने के अधिकार का अवश्य उपयोग करे। जब आप वोट डालने बूथ पर जाएं, तो उससे पहले चुनाव में खड़े उम्मीदवारों का खुद मूल्यांकन कर यह तय कर लें कि आपको किसे वोट देना है। किसी के लालच या बहकावे में आकर अन्य उम्मीदवार को वोट न दें। क्योंकि, आपका वोट बेशकीमती है। ध्यान रहे, आपके वोट से सरकार बनती है। अपने आस-पास के लोगों को भी निर्भय होकर वोट डालने का सन्देश दें।

चुनाव आयोग देगा 'न्यौता'

पिछले चुनाव तक विभिन्न दलों के उम्मीदवार आपके घर के सभी मतदाताओं के नाम की परची (मतदान करने का न्यौता) देने आपके द्वार तक जाते रहे हैं। इस परची में आपका नाम, मकान नम्बर और वोटर लिस्ट में आपका क्रमांक आदि लिखा होता है। इसके साथ ही इसमें उनका चुनाव चिन्ह और उन्हें मत देने का आग्रह भी छपा होता है। अत: परची बांटना उनके चुनाव प्रचार का एक जरिया बन गया।

इस बार चुनाव आयोग खुद मतदाताओं को अपना वोट देने के लिए मतदान केन्द्र आने की परची 'न्यौता' देगा। जिसमें मतदाता सूची में आपका नाम होने की सभी तरह की पक्की जानकारी मिलेगी। कृपया सुविधा के लिए मतदान केन्द्र पर आप इस परची को ले जाना न भूले।

हमारा जनप्रतिनिधि कैसा हो

यह जरूरी है कि हर मतदाता अपने वोट का महत्व और उसकी कीमत को समझे। जिसे आप चुनने जा रहे हैं, वह आपके क्षेत्र का पांच साल तक प्रतिनिधित्व करेगा। आप ऐसे जन प्रतिनिधि को अपना वोट देने के लिए चुने जो चुनाव जीतने के बाद आपके क्षेत्र के सभी तबके के लोगों को साथ लेकर चले और सभी के विकास के लिए समान रूप से काम करे। वह देश और प्रदेश के विकास में सहभागी हो।

वह विधान सभा में आमजन के अभावों व समस्याओं के निपटारे के लिए पैरवी कर सके। उसमें जन हित में पूरी ईमानदारी से प्रश्न उठाने और जनता के प्रति जवाबदेही की भावना हो। कृपया किसी भी दल के दागी और अपराधी किस्म के उम्मीदवार को हरगिज अपना मत नहीं दें।

चुनावी खर्च पर होगी खुफिया नजर

विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के चुनावी खर्च पर जिला प्रशासन पांच स्तरीय प्रणाली से विशेष नजर रखेगा। चाहे आचार संहिता के उल्लंघन का मामला हो या फिर मतदान से पहले चुनावी रैली, सभाएं, नुक्कड़ नाटक और प्रचार। ये सभी गतिविधियां न केवल कैमरे में कैद होंगी, बल्कि इसके जरिए प्रशासन खुद के स्तर पर उम्मीदवारों के रोजाना का चुनाव खर्च का ब्योरा तैयार करेगा।

इसके पुख्ता प्रमाण के लिए बाकायदा कलेक्ट्रेट में शेडा ऑब्जरवेशन रजिस्टर भी संधारित किए जाएंगे। उम्मीदवार पर खुफिया 'निगाहों' से नजर रखने के लिए पांच टीमें गठित की गई हैं।

सरकार झुकी, कोर्ट का निर्णय लागू

सजायाफ्ता और दागियों की सदस्यता खत्म करने और उन्हें चुनाव में खड़ा नहीं करने के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को पलटने के लिए केन्द्र सरकार ने अध्यादेश राष्ट्रपति के पास भेजा। राष्ट्रपति के सामने भाजपा ने इस अध्यादेश पर विरोध दर्ज कराया। नाखुश राष्ट्रपति ने केन्द्र सरकार से सफाई मांगी।

नाटकीय अन्दाज में राहुल गांधी ने आध्यादेश को 'बिल्कुल बकवास' और 'फाड़ कर फेंकने' लायक बताया। इसके बाद सरकार झुकी और अध्यादेश को केबिनेट की बैठक बुला कर वापस लेना पड़ा।

यह जन भावनाओं की जीत है और एक शुभ संकेत भी। अब चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अमल पर कवायद शुरू करनी होगी। हम भी संकल्प लें कि किसी भी दागी व अपराधिक छवि वाले उम्मीदवार को अपना वोट नहीं देंगे।

नापसन्द तो दबाएं 'नोटा' बटन

विधानसभा के चुनाव में इस बार मतदाताओं के पास प्रत्याशियों को खारिज (राइट टू रिजेक्ट) करने का भी अधिकार होगा। अगर किसी मतदाता को उनके क्षेत्र के प्रत्याशियों में से किसी को भी वोट नहीं देना है, तो वह वोटिंग मशीन में सबसे नीचे वाला 'नोटा' वाला बटन (इनमें से कोई नहीं) दबा कर अपनी भावना व्यक्त कर सकता है।

वोटिंग मशीन में यह सुविधा देने के लिए केन्द्रीय निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इसकी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मतपत्र होने की दशा में वोटर सबसे नीचे अंकित कालम पर मुहर लगा सकेगा। नोटा का बटन दबाने वाले का नाम गोपनीय रहेगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू रिजेक्ट की व्यवस्था की थी। निर्वाचन आयोग ने इसी को ध्यान में रखकर यह निर्देश दिए हैं।

मिले वापस बुलाने का अधिकार

जनप्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद अपनी शपथ और कर्तव्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा हो, जनता को लगे कि वह चुनाव के समय किए गए अपने वादों से मुकर रहा है, तो मतदाताओं के पास विधायकों व सांसदों को वापस बुलाने का अधिकार (राइट टू रिकॉल) होना चाहिए।

पूर्व में 'कट्स' द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी उभर कर सामने आया था कि 62.04 फीसदी लोग इस बात से पूर्ण सहमत है कि चुनने के बाद कोई जनप्रतिनिधि यदि भ्रष्टाचार व अनियमित कार्यों में भागीदारी रखते हैं, तो जनता को उन्हें वापस बुलाने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

स्मरण रहे, चुनाव आयोग ने 2001 में तथा पुन: 2004 में इस बाबत प्रयास किए थे, लेकिन सुधार का यह कदम अभी बाकी है।

जरूरी है सूचना और निगरानी

केन्द्रीय सूचना आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के दायरे में लाने का फैसला दिया। भले ही आमजन ने इस फैसले को अच्छा और ऐतिहासिक माना हो, पारदर्शी और जवाबदेही का राग अलापने वाली राजनीतिक पार्टियों ने परस्पर सांठगांठ कर खुद को सूचना के अधिकार से बाहर कर दिया है। वे लोगों की निगरानी से क्यों बचना चाहती है।

'वोट' है सबसे बड़ा हथियार

हमारे देश में भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी और मंहगाई जैसी अनेक समस्याएं हैं। कई भ्रष्टाचारी और अपराधी किस्म के नेता विधान सभाओं और संसद में बैठे हैं। उनका काम सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है। उनका जनता की भलाई से कोई लेना देना नहीं है।

हमें इस बार चुनाव में स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति को वोट देना चाहिए। आज राजनीति में जो गंदगी व्याप्त है उसे दूर करने के लिए हमारे पास वोट ही सबसे बड़ा हथियार है। हमें काफी सोच-समझ कर मतदान करना चाहिए।

- रामावतार गुप्ता, पुलिस लाइन, टोंक

जातिवाद से ऊपर उठें

देश में राजनेताओं ने जातिवाद और वंशवाद को बढ़ावा दिया है। इससे समाज में एक बिखराव सा पैदा हो गया है। चुनाव में खास जातिगत आधार पर उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं, चाहे उम्मीदवार अयोग्य या दागी किस्म का ही क्यों न हो। वह जाति और समाज का कोई भला नहीं करता।

चुनाव में जातिगत आधार से ऊपर उठ कर शिक्षित, ईमानदार, समाजसेवी और जवाबदेह उम्मीदवार को चुनना चाहिए। इससे समाज और देश का भला होगा।

- गोपाल लाल गौड़
किशनगढ़, अजमेर

खाद्य सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह?

खाद्य सुरक्षा कानून गरीबों की भलाई के लिए कम और भ्रष्ट राजनेताओं व अधिकारियों के लिए अच्छा सुकून साबित होगा। हाल ही दिल्ली में राशन के अनाज के लाखों कट्टे ट्रकों में भर कर अवैध रूप से आटा मीलों में पहुंच गए।

एक टीवी चेनल पर वहां ट्रकों से गरीबों के गेहूं से भरे कट्टे खाली करते हुए बताए गए। यह सारा गेहूं गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा के तहत राशन की दूकानों पर भेजा गया था।

दो रुपए किलो के इस गेहूं को आटा मिल काफी ऊंची दरों पर बेच रही है। इससे साफ है, इसमें राजनेताओं या अधिकारियों और पुलिस की मिलीभगत है। इससे खाद्य सुरक्षा कानून पर प्रश्न चिन्ह लगा है।

- बनवारी लाल बैरवा
तूगां रोड़, बस्सी

कोर्ट का फैसला कायम

अपराधी और दागी नेताओं को हटाने और जेल गए नेताओं को चुनाव में टिकट नहीं देने का उच्चतम न्यायालय का फैसला देश की राजनीति को साफ-सुथरा बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। केन्द्र सरकार इस फैसले को बदल कर दागी, भ्रष्ट और अपराधी नेताओं को बचाना चाहती थी।

तभी तो केबिनेट में जल्दबाजी में अध्यादेश पास कर, राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भिजवा दिया। हमारे राष्ट्रपति ने इस पर आपत्ति जताई। आमजन खुश हैं, वहीं केन्द्र सरकार की फजीयत हुई है। उसे अध्यादेश वापस लेना पड़ा।

अनुपम जैन, भीलवाड़ा

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोन: 228 2821 से 23 फैक्स: 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर